

RCMS

फर्द अहकाम

(नियम 13)

निर्दिष्ट  
6/8/19

2019/00017 (General Rules (Civil) Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)  
अज अदालत तहसीलदार, सिणधरी




राजस्थान सरकार जरिये पटवारी  
सिणधरी

बनाम


चापरास वल्ड मांगाराठ  
मौदार सिणधरी चारवान

किस्म मुकदमा- राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

मु. न. 05 सन/2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18/7/19	<p>पटवारी हल्का.....<u>सिणधरी</u>..... ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2076 में मौजा <u>सिणधरी</u> के खसरा संख्या .....<u>61</u>..... रकबा <u>0-05 बीघा</u> किस्म भूमि <u>गैर साभल</u> पर नाजायज अतिक्रमण कर <u>कम</u> कर <u>कब्जा</u> किया है। अतः राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक <u>06/8/19</u> ..... को वमुकाम सिणधरी पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> तहसीलदार सिणधरी</p>	
6/8/19	<p>पत्रावली <u>प्रस्तुत हुई</u>। गैर साभल उपस्थित। पटवारी हल्का उपस्थित। गैर साभल ने अपने कब्जे के बावत कोई विधि सम्मत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, गैर साभल द्वारा <u>गैर साभल</u> के पत्रावली का <u>बनाकर अतिक्रमण</u></p>	<p style="text-align: right;"> <u>चपरास</u>  ज. सिंह</p>

करना स्वीकार किया, अतः गौरसायल्य  
को भस्मिकनी मानते हुए, पत्रावली  
केसल सुगार है। निजिय भलग रंग  
लिखा जाकर शास्त्रिक पत्रावली है।  
निजिय सुके-पापालम के सुनामगया  
पत्रावली केसल सुगार होकर दाखिल  
दफ्तर है।

  
तहसीलदार सिणधरी  
जिला-वाड़मेर